



Neutral Citation No. -2026:AHC:54952

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 2520 / 2025

फूल सिंह

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

:

राजेश कुमार दुबे

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता
विक्रम

: शासकीय अधिवक्ता, शोभित प्रताप सिंह, विनीत

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा,

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार दुबे, प्रथम सूचक के विद्वान अधिवक्ता श्री शोभित प्रताप, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता मनोज गौतम को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 444/2020, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी, 465 भारतीय दंड संहिता, पुलिस थाना जॉर्ज टाउन, जिला प्रयागराज में अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में अपीलार्थी को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी कथित विक्रय विलेख का सीमांत गवाह है, जिसे वास्तविक मालिक गोकर्ण ने सह-आरोपी अनुपम कुमार सिंह और आशीष कुमार सिंह के पक्ष में निष्पादित किया है और विक्रय की प्रामाणिकता का निर्णय सिविल न्यायालय में किया जाएगा। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी के तीन मामलों का आपराधिक इतिहास आवेदन ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है और वह मुकदमे के दौरान सहयोग करने और जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होने का वचन देता है और यदि उसे अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
4. दूसरी ओर, प्रथम सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गोकर्ण ने पहले अपनी संपत्ति के संबंध में अपने भाई जयकर्ण के पक्ष में मुख्तारनामा निष्पादित की थी, जिसने बाद में उक्त संपत्ति के एक हिस्से के संबंध में प्रथम सूचक के पक्ष में विक्रय समझौता किया और प्रथम सूचक ने गोकर्ण द्वारा सह-आरोपी अनुपम और आशीष के पक्ष में कथित विक्रय विलेख निष्पादित होने से पहले विवादित संपत्ति खरीद ली थी।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का भी विरोध किया।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार किया है।

7. अपीलार्थी गोकर्ण द्वारा सह-आरोपी अनुपम कुमार सिंह और आशीष कुमार सिंह के पक्ष में निष्पादित कथित विक्रय विलेख का मामूली गवाह है। आरोप है कि प्रथम सूचक ने विवादित भूमि को जयकरण सिंह द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित विक्रय समझौते के आधार पर पहले ही खरीद लिया था। जबकि अपीलार्थी के अधिवक्ता का कहना है कि विवादित संपत्ति का वास्तविक स्वामी गोकर्ण है।

8. यह उल्लेख किया जा सकता है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी के पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

9. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांतों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, आरोप की प्रकृति, अपीलार्थी की भूमिका और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

10. अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

11. उपर्युक्त मामले में अपराध के लिए अपीलार्थी **फूल सिंह** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) अपीलार्थी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और कोई अनुचित स्थगन नहीं मांगेगा;

(ii) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) अपीलार्थी मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा;

(iv) अपीलार्थी संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

12. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

17 मार्च, 2026

वंदना

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"